12/8/24

आदेश

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी
प्रकरण संख्या 47/2015
अनवान सरिता चौधरी आदि बनाम लाडो देवी आदि

पत्रावली आज पेश हुई प्रार्थीगण बनाम अप्रार्थी सं. 1 ता 3 व 7, 8 की पूर्व में बहस सुनी जा चुकी है। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजे का गहराई से अवलोकन किया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा नजीरें पेश की गई एवं अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त अनवान वाद पत्र वास्ते विभाजन रेस्टोर किया जावे व पुनः नम्बर पर लिया जाकर न्यायहित में आगामी कार्यवाही की जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ता 3 व 7 ने अपनी मौखिक बहस में कथन किया कि प्रार्थी 2005 में नाबालिग थे आज बालिग है नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें और निवेदन किया कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र मय हर्जा के खारिज फरमाया जावें। बहस उभय पक्ष पर भलीभांति मनन किया गया।

पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया। यह न्यायालय प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योकि प्रार्थी राहुल द्वारा पूर्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाने का निवेदन किया है एवं प्रार्थीगण वर्तमान में बालिग हो चुके है तो जरिये माता पूर्व में खारिज प्रार्थना पत्र को रेस्टोर करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रथम दृष्टया पत्रावली अवलोकन में पाया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ वाद पत्र खारिज दिनांक 23.03.2015 की प्रमाणित प्रति व वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा फार्म संख्या 3 के साथ फर्द अहमान आदेश 23.03.2015 की चित्रप्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनो हाजिर नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया गया अतः उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सीपीसी के तहत दोनो पक्ष हाजिर नहीं होने पर रेस्टोर हेतु लगाया जाना था अतः प्रार्थना पत्र बिना नियम एवं बिना किसी आधार के प्रस्तुत किया गया है काबिल खारिज है प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 9 नियम 9 सीपीसी खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसला होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। यह आदेशा आज दिनांक 12/8/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.22 12:16:59 IST
Reason: SelfAttested